नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 15/17 दिनांकः–27.03.2018

रामू उम्र 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहाय तहसील रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर राज0। ....प्रार्थी

बनाम

1. बन्नेंसिंह पुत्र ज्याना जाति राजपूत निवासी ग्राम तिहाय तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0
2. रामदेवाराम पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम तिहाय तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार महोदय, रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर राज0
4. पटवारी, पटवार हल्का ठेडी तहसील रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर राज0
5. पटवारी, पटवार हल्का तिहावली तहसील रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर राज0

........अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 रा0का0 अधिनियम व सहपठित धारा 151 जा0दी0

निर्णय

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री सुरेन्द्रपाल सिहं(प्रार्थी की ओर से)

श्री अनिल बाटड (अप्रार्थी सं 01 व 02 की ओर से)

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थी स्वयं है तथा उक्त कृषि भूमि का खाता प्रार्थी के नाम से बना हुआ है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के एकान्तिक कब्जे, अधिकार में बतौर स्वामी अधिकार चली आ रही है, प्रार्थी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उक्त कृषि भूमि को काश्त किया था, तथा वर्तमान में उसमें बाये हुये बाजरे, मोट, मूग ग्वार की फसल को लाट बाट कर रहा है उक्त कृषि भूमि के चारो ओर तारबन्दी व बाड़, मिट्टी की डोल बनी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक व दो की कृषि भूमि प्रार्थी/वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम लावण्डा से काई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं परन्तु अप्रार्थीगण संख्या एक व दो अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 से मिलकर कतई गलत रूप से आपस में साज करके प्रार्थी/वादी को अकेला व्यक्ति देखकर उसके खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि में बाई हुई फसल को उसके द्वारा लाट बाट करने में व उसकी नीवं सींव पर बनी तारबन्दी, बाड़ व मिट्टी की डोल को तोड़ने की धमकियां पिछले दो माह से दे रहे थे लेकिन दिनांक 26.10.2017 से प्रार्थी/वादी की कृषि भूमि की नींव सींव पर बनी तारबन्दी व डोल बाड को तोडने की कोशिश में लग गये हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी/प्रतिवादीगण यदि अपने उक्त गलत कृत्य में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तौर पर बाद में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा उक्त कृषि भूमि पर लाट बाट के लिये पड़ी हुई फसल नष्ट व बरबाद हो जायेगी। जिसके लिये अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वो स्वयं अपने प्रतिनिधी नौकर, चाकर, परिजन, एजेन्ट आदि के जरिये प्रार्थी के खेत कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ–शेखावाटी में प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों ओर बनी नींव सींव पर की गई तारबन्दी, बाड़ व मिट्टी की डोल को तोड़ फौड़ नहीं करे तथा प्रार्थी के उक्त भूमि के कब्जे काश्त, लाट बाट उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र का जबाब पेंश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि के सिधान्तो के विपरित एवं दस्तावेजात के अभाव मे चलनें योग्य नही है तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है, वास्तविक यह है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 451 मे तारबंदी किसी भी प्रकार की पूर्व मे नही की गई थी प्रार्थी के खेत मे दक्षिण मे खसरा नम्बर 455 व तथा इसके वूर्व मे खसरा नम्बर 454 स्थित है इन तीनो खसरो मे से होकर एक प्रचलित रास्ता जागिरी के समय से ही प्रचलन मे है जिसे प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 451 के चारो तरफ तारबंदी करके रोक दिया गया जो कि विधि के सिधान्तो के विपरित है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 भी गलत होने से अस्वीकार है तथा वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 454 के पुरब व खसरा नम्बर 455 के दक्षिण मे खसरा नम्बर 451 जो कि प्रार्थी का खेत स्थित है जिसमे से होकर एक रास्ता प्राचीन समय से ही मौजुद है जिसमे से प्रार्थी तथा ग्राम तिहाय के व्यक्ति निरन्तर एवं निर्वाद रूप से आवागमन करते थे उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा अपने खेत के चारो ओर तारबन्दी करके रोक दिया गयां जो कि विधि के सिधान्तो के विपरित है जिस कारण पडौसी खातेदारो के अपने खेत मे आने जाने के लिऐ काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता अपने खेत के चारो तरफ तारबन्दी करके बंद करने के सम्बंध मे प्रार्थना पत्र दायरी के समय के पूर्व ही माननीय तहसीलदार महोदय के यहा प्रार्थना पत्र लम्बित है जिसमे संबंधित हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12.09.2017 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई कि खसरा नम्बर 451 मे प्रचलित रास्ते को प्रार्थी द्वारा अपने खेत के चारो ओर तारबन्दी कर बन्द कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध मे माननीय तहसीलदार महोदय के यहा उक्त प्रार्थना पत्र वर्तमान में भी लम्बित है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.10.2017 को तारबंदी तोडने के सम्बन्ध मे कोई धमकी नही दी गई जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय के यहा लम्बित प्रार्थना पत्र मे उसके विरूद्ध रास्ता खुलने के सम्बन्ध मे कोई प्रभावी कार्यवाही नही हो जायें इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा तथ्यो को छुपाकर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया तथा माननीय न्यायालय को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नही होने के कारण उसमे एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो कि विधि के सिधान्तो के विपरित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र कृषि भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 6.65 हैक्टेयर वाके ग्राम लावण्डा मे स्थित प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध करने की नियती से किया गया है।जिसके सम्बन्ध मे पूर्व मे भी तहसीलदार महोदय के यहा पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की है जिसमे स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि प्रार्थी द्वारा अपने खेत के चारो तरफ कर अपने खेत मे स्थित प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिया गया है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 454 व 455 मे भी स्थित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो तथा मौके की भौतिक व वास्तविक तथ्यो को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यहा दावा दायरी से पूर्व विवादित आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य माननीय न्यायालय तहसीलदार रामगढ शेखावाटी मे भी धारा 251 रा0 का0 अधिनियम 1955 के अंतर्गत विचाराधीन है। जिसमे पटवारी हल्का तिहावली की जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

451 वाके ग्राम लावण्डा के खातेदार द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर अवरोध पैदा किया होना बताया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय तिहावली के प्रस्ताव मे भी प्रार्थी द्वारा प्रचलित रास्ता बन्द करने का अंकन है। जब पूर्व में ही विवादित आराजी के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय तहसीलदार रामगढ मे विचाराधीन है, तो यह समझ से परे हैं कि प्रार्थीगण को दोबारा वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त करने कि क्या आश्वयकता थी। जब पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही अन्य न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है तो यह प्रार्थना चलाने का कोई आवित्य नहीं है। प्रार्थी नें स्वंय वाद बहुलता बढायी हैं, इसलिए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू नहीं हैं। उक्त विवेचन तथा तथ्यो के आधार प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खसरा नम्बर 451 रकबा 6.65 है0 वाके ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0 खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी